मध्यप्रदेश शासन

2018 2019

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018–2019

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018—19

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़
जनजाति कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018–19

मंत्री विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग		माननीय ओमकार सिंह मरकाम केबिनेट मंत्री मध्यप्रदेश शासन
सचिवालय		
सचिव, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग		श्री रमेश एस. थेटे आय.ए.एस.
उप सचिव, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग		
अवर सचिव, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग		डॉ. के.एन. पाण्डे
विभागाध्यक्ष		
संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास		श्री रमेश एस. थेटे आय.ए.एस.

विभाग की प्रशासनिक संरचना

(एक नजर में)

मंत्रालय

↓

मंत्री
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

↓

प्रमुख सचिव/सचिव
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

↓

संचालक
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग

↓

सहायक संचालक/प्रभारी अधिकारी
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध्दघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग

विषय सूची

अनु.क्र.	विषय	पृष्ठ क्र. से	पृष्ठ क्र. तक
1	विभाग की प्रशासनिक संरचना		
	(अ)–विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय	01	01
	(ब)–विभाग के दायित्व	01	01
	(स)–विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम व नियम	02	02
	(द)–अधिकार एवं कार्यक्षेत्र	02	02
	(इ)–सामान्य एवं प्रमुख विशेषताऍ	03	03
	(फ)–महत्वपूर्ण सांख्यिकी	04	04
2	बजट विहंगावलोकन	04	05
3	विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें (अ)–राज्य मद की योजनायें (ब)–अन्य योजनाएं	06	12
4	सामान्य प्रशासनिक विषय	12	14
5	अभिनव योजनाऐं तथा आगामी वर्ष 2019–20 के लिये विभागीय कार्ययोजना	14	15
6	सारांश	15	16
7	परिशिष्ट– एक	17	18
8	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों की सूची	22	23

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018–19

1. विभाग की प्रशासनिक संरचना :

मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर विभागीय नियंत्रण हेतु सचिव, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग पदस्थ हैं। शासन की अधिसूचना दिनांक 22 जून 2011 द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का पृथक से गठन किया गया है। विभाग में प्रतिनियुक्ति के स्वीकृत पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना पैतृक विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग से की गई है। प्रदेश में 51 जनजातियाँ विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के रूप में मान्य की गई है, इनमें से 21 विमुक्त जनजाति तथा 30 घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के रूप में मान्य है।

(अ) विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय

1. संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास।
2. मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण।

(ब) विभाग के दायित्व :

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग (62) को कार्य आवंटन नियम में निम्नानुसार दायित्व सौंपे गये हैं :–

1. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के कल्याण कार्यक्रम का निर्माण और क्रियान्वयन।

2. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के लिये शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।

3. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं सलाह।

4. इन जातियों से संबंधित नियमों और विनियमों को बनाना और इसका कियान्वयन।

5. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थः— नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नति, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

(स) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

कुछ नहीं।

(द). अधिकार एवं कार्यक्षेत्र

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।

संचालक विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति विकास के कार्यः—

- विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
- विभागीय (62) मांग संख्या 53 एवं 69 अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- विभागीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

जिला स्तर :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ 11–31/2017/एक/9 भोपाल दिनांक 24.08.2017 के द्वारा जिलास्तर पर पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालको/जिला अधिकारियों को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, का कार्य भी सौंपा जाता है सबंधित अधिकारियों पर प्रशासकीय नियत्रंण पिछडा वर्ग तथा अल्पसख्यक कल्याण विभाग का ही होगा। संबंधित अधिकारी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासकीय नियत्रण में रहते हुए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्क्ड़ जनजाति कल्याण विभाग का कार्य प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी की हैसियत से अतिरिक्त रूप से संपादित करेंगे।

विभागांतर्गत पृथक से मुख्यालय/जिला स्तर/अभिकरण स्तर पर नवीन पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(इ) सामान्य/प्रमुख विशेषतायें :–

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति संवर्ग की छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ–साथ 140 छात्रावासों/आश्रमों का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों की निम्नलिखित समस्या मुख्य रूप से परिलक्षित हुई है:–

1. जिलेवार अधिकृत जनसंख्या की जानकारी का अभाव
2. साक्षरता प्रतिशत का न्यूनतम होना
3. स्थाई एवं पक्के आवास की समस्या
4. बहुतायत आबादी का गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन
5. सामाजिक दूरी

6. कुछ जातियों की शिकारी एवं अन्य आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्नता

7. पुनर्वास की समस्या

(फ) महत्वपूर्ण सांख्यिकी :—

छात्रावास, आश्रमों का संचालन :—

वर्तमान में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा देने हेतु निम्नानुसार छात्रावास, आश्रमों एवं सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	संस्था का प्रकार	बालक	स्वीकृत सीट	कन्या	स्वीकृत सीट	योग	
						संस्था	सीट
1	छात्रावास	56	2660	40	1904	96	4564
2	आश्रम	23	1030	7	310	30	1340
3	बाछड़ा बेड़िया छात्रावास / आश्रम	1	30	5	135	6	165
4	सामुदायिक कल्याण केन्द्र	8	425	0	0	8	425
	महायोगः—	**88**	**4145**	**52**	**2349**	**140**	**6494**

2. बजट विहंगावलोकन :—

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का बजट प्रावधान एवं व्ययः—

वर्ष 2018—19 में बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार हैः—

(राशि रूपये लाखों में)

क्रमांक	मद/मांग संख्या	वर्ष 2018–19	
		प्राप्त आवंटन	व्यय 31 दिस. 2018 तक
आयोजनेत्तर (नान प्लान)			
1	मांग संख्या–69	61.07	34.00
	योग (आयोजनेत्तर)	61.07	34.00
राज्य आयोजना (प्लान)			
2	मांग संख्या–53	1598.00	477.78
3	मांग संख्या–69	3704.31	1202.38
	योग (आयोजना)	**5302.31**	**1680.16**
महायोग (आयोजनेत्तर एवं आयोजना)		**5363.38**	**1714.16**

विस्तृत विवरण "**परिशिष्ट–1**" पर संलग्न है।

3. विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें_:–

विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:–

1. **शैक्षणिक योजनायें**
2. **आर्थिक विकास की योजनायें**

शैक्षणिक योजनाओं में मुख्यतः विमुक्त जाति प्री. मैट्रिक छात्रावास, आश्रम शालायें एवं सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का संचालन है। इसके अतिरिक्त राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5, राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कक्षा 11वीं, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की परीक्षाओं के शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना, विद्यार्थियों को आवास भाड़ा भत्ता योजना, नेतृत्व विकास शिविर योजना, सैनिक स्कूल एवं पब्लिक स्कूल के फीस की प्रतिपूर्ति योजना तथा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित है।

आर्थिक विकास की योजनाओं में मुख्यतः मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना, विमुक्त जाति बस्तियों का विद्युतीकरण योजना तथा रोजगार मूलक प्रशिक्षण योजना संचालित है। इसके अतिरिक्त विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के उत्थान के लिये समाज सेवा करने वाले समाज सेवक को पुरस्कार योजना लागू की गई है।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

(अ) राज्य मद की योजनाये:– विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध्दघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित है –

शैक्षणिक योजनायें –

1.1 राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 – राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को

प्रतिमाह रुपये 15/– के मान से 10 माह के लिये रूपये 150/– की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018–19 में राशि रुपये 70.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। उक्त योजना स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित है। रु. 70.00 लाख स्कूल शिक्षा विभाग को समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण हेतु आवंटित किये गये।

1.2 राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 –

कक्षा 6 से 10 तक के छात्र–छात्राओं को निम्नानुसार वार्षिक (10 माह हेतु) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :–

कक्षा	छात्र	छात्रा
6 से 8	रु. 200/–	रु. 600/–
9 से 10	रु. 600/–	रु. 1200/–

वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 120.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। उक्त योजना स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित है। रूपये 120.00 लाख स्कूल शिक्षा विभाग को समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण हेतु आवंटित किये गये।

1.3 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति –

यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं से लेकर महाविद्यालयीन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान समूह, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, कृषि, विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि समूहों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये 2.50 लाख की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों को निर्धारित पूर्ण निवास भत्ता एवं शासकीय संस्थानों में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जावेगा। 2.50 लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिये कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं है। शासकीय संस्थाओं/अशासकीय संस्थाओं में अध्यनरत रहने पर शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की आधी राशि का भुगतान किया जावेगा।

वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 220.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को राशि रु 60.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राशि स्वीकृत कर विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। राशि रु. 12.73 लाख पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत जिलों को आवंटित की गयी।

1.4 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कक्षा 11वीं –

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित है। प्रथम बार 11वीं में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 3000/– की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

वर्ष 2018–19 में कक्षा 11वीं हेतु राशि रूपये 16.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। उक्त योजना स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित है। राशि रु. 16.00 लाख स्कूल शिक्षा विभाग को समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण हेतु आवंटित किये गये।

1.5 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना –

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यार्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इन राशि की दरें निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	म.प्र.लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रूपये	संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रूपये
1	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	20,000/–	40,000/–
2	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	30,000/–	60,000/–
3	साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	25,000/–	50,000/–

वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिला नीमच को योजना अन्तर्गत राशि रु. 20,000/– का आवंटन प्रदान किया गया।

1.6 सैनिक स्कूल/पब्लिक स्कूलों के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाः

सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं/विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लेने पर विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के लिये शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना संचालित है।

वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 10.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

1.7 मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना –

दूरस्थ स्थान के विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के विद्यार्थी, जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई हेतु दूसरे शहरों में आवास लेकर रहते हैं उन्हें आवास भाड़ा भत्ता प्रदाय करने हेतु यह योजना संचालित की जाना है, ताकि उनके लगातार अध्ययन में व्यवधान न आये। उक्त योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजना के अनुरूप है। वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 10.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

1.8 विमुक्त जाति छात्रावास योजना –

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के दूरस्थ स्थान से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा देने के लिये 140 विभागीय छात्रावास, आश्रमों एवं सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 6494 सीट्स स्वीकृत है। 01 जुलाई 2015 से शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि की जाकर बालकों हेतु रूपये 1,000/– एवं बालिकाओं हेतु रूपये 1,040/– शिष्यवृत्ति प्रतिमाह (10 माह हेतु) की दरें स्वीकृत की गई है। वर्ष 2018–19 में शिष्यवृत्ति मद में राशि रूपये 632.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।

1.9 जाति प्रमाण पत्रों का मुद्रण –

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों एवं लोगों के जाति प्रमाण–पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे है। वर्ष

2018–19 में जाति प्रमाण पत्रों के मुद्रण मद में राशि रूपये 6.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।

2 आर्थिक विकास की योजनायें –

2.1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना –

योजना अंतर्गत 100 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रु. 605.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

2.2 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना –

योजना अंतर्गत 200 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रु. 110.01 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

2.3 कृषक उद्यमी योजना –

योजना अंतर्गत 100 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रु. 10.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

2.4 विमुक्त जाति आवास योजना –

विमुक्त जाति आवास योजना के अन्तर्गत राशि रु. 60,000 का अनुदान दिया जाता था

जिसे वर्ष 2018–19 से प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित किया जाकर प्रति हितग्राही को रु. 1.50 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 570.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

2.5 विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना –

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बाहुल्य बस्तियों, ग्राम, वार्ड, मोहल्ले, मजरे, टोले एवं डेरों में अधोसंरचना के विकास हेतु योजना संचालित है। इसके अंतर्गत सी.सी. रोड़, नाली, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था, आदि मूलभूत आवश्यकताओं हेतु निर्माण कराये जाते है।

वर्ष 2018–19 में राशि रूपय 500.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

2.6 विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना –

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के लोगों की बस्तियों में जहां पर 100 लोगों से कम की आबादी है एवं विद्युत व्यवस्था नहीं है। वहॉ विद्युत व्यवस्था हेतु विद्युत लाईन का विस्तार, ट्रांसफार्मर लगाना, खम्बे लगाना इत्यादि कार्य इस योजनान्तर्गत किये जाना है, ताकि इन लोगों को विद्युत की मूलभूत सुविधा दी जाएगी। उक्त योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजना के अनुरूप है। वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 50.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

3. अन्य योजनाएं –

वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार अन्य योजनायें संचालित है :–

3.1. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति (मा.शि.मं / व्यापम)–

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षा एवं व्यापमं द्वारा संचालित पीईटी / पीएमटी / पीएटी इत्यादि परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 4.30 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

3.2. नेतृत्व विकास शिविर योजना –

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना के अनुरूप विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों में नेतृत्व विकास क्षमता विकसित करने हेतु नेतृत्व विकास शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बालक एवं बालिका को शिविर में आमंत्रित किया जाकर उन्हें नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है इस हेतु वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 0.01 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

3.3. विमुक्त जाति के समाज सेवक को उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार योजना

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना के अनुरूप विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के उत्थान के लिये समाज सेवा कार्य करने वाले समाज सेवक को रूपये 1.00 लाख का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017–18 में राशि रूपये 4.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

4. सामान्य प्रशासनिक विषय :–

4.1 विभागीय स्वीकृत पदों की जानकारी –

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 4–18/2011/1/25, दिनांक 4.1.2012 द्वारा संचालनालय, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास के लिये निम्न पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग की शर्त के अनुसार प्रस्तावित पद आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की संरचना से कम किये जाकर नवगठित विभाग को उपलब्ध कराये जाने के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–4–18/2011/1/25, दिनांक 27.5.2014 द्वारा 11 पद विभाग को सौंपे गये किन्तु समसंख्यक आदेश दिनांक 4.10.2014 द्वारा सौंपे गये पद वापिस लिये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में निम्नानुसार पद प्रतिनियुक्ति से भरे गये है :–

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	संचालक	01	37400–67000+8900 ग्रेड पे	–	01	अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग को प्रभार सौंपा गया।
2	उप संचालक (प्रशासन)	02	15600–39100+6600 ग्रेड पे	02	–	
3	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	02	9300–34800+3600 ग्रेड पे	–	02	रिक्त
4	लेखापाल	02	5200–20200+2400 ग्रेड पे	01	01	01 रिक्त
5	निज सचिव	01	5200–20200+2800 ग्रेड पे	00	01	01 रिक्त
6	निज सहायक	03	5200–20200+1900 ग्रेड पे	01	02	02 रिक्त । निज सहायक पद के विरूद्ध 01 सहायक ग्रेड–3 पदस्थ ।
7	डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर	03	निश्चित वेतनमान में संविदा पर	00	03	आउट सोर्सिग से 01 डाटा एन्टी आपरेटर पदस्थ।
8	वाहन चालक	03	निश्चित वेतनमान में संविदा पर	00	03	03 रिक्त
9	भृत्य/संदेश वाहक	06	जिलाध्यक्ष दर पर	00	06	आउट सोर्सिग से 02 भृत्य पदस्थ।
10	स्वीपर पार्ट टाईम	01	जिलाध्यक्ष दर पर	01	00	–
	योग	**24**		**05**	**19**	

विभागीय पद प्रतिनियुक्ति के होने के कारण विभागीय पदोन्नतियाँ, विभागीय जाँच एवं नियुक्तियाँ, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण संबंधी समस्त कार्यवाही पैतृक विभाग आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।

4.2 मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण :–

मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण का गठन वर्ष 1996 में किया गया है एवं इसके विनियम वर्ष 1995 के नाम से पंजीबद्ध कराये गये है। अभिकरण में 01 अध्यक्ष, 04 शासकीय एवं 05 अशासकीय सदस्य होते है। नवगठित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास, संचालनालय के गठन उपरांत अभिकरण को संचालनालय के अधीन किये जाने की अधिसूचना दिनांक 12 सितम्बर 2013 को जारी की गई। अधिसूचना जारी होने के उपरांत संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास अभिकरण के पदेन सदस्य सचिव है।

अभिकरण के कार्य :

1. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के विकास एवं उनकी समस्याओं का पता लगाना।
2. विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन तथा उत्पादन के लिये जातियों के परामर्श से योजनाएं तैयार करना, ताकि उनकी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हो सके।
3. इन योजनाओं को या तो प्रत्यक्ष रूप से या समुचित अभिकरणों के माध्यम से निष्पादित करना।

5. अभिनव योजनायें तथा आगामी वर्ष 2019–20 के लिये विभागीय कार्य योजना :–

1. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के लिये पूर्व से संचालित 50 सीट से कम के छात्रावास/आश्रमों में सीट वृद्धि कर 50 सीट के

छात्रावासों/आश्रमों में परिवर्तित करने हेतु जिलों से जानकारी चाही गई है। जानकारी प्राप्त होने पर सीटवृद्धि संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा।

2. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की जनसंख्या तथा उनके आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर की जानकारी ज्ञात करने हेतु आगामी वर्ष 2019–20 में बेस लाईन सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

6. सारांश :–

भारत के हृदय प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 22 जून 2011 द्वारा पृथक "**विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग**" का गठन किया गया। शासन आदेश दिनांक 12.9.2011 द्वारा संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाओं के समान ही योजनायें संचालित की जा रही है।

मध्यप्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। इन जनजातियों की प्रमुख समस्या शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक रूप से विपन्नता एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण स्थायी आवास न होना है।

इन जनजातियों की उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिये इन्हें एक स्थान पर आवासीय सुविधा देने हेतु विमुक्त जाति आवास योजनांतर्गत राशि रु. 60,000 का अनुदान दिया जाता था। जिसे वर्ष 2018–19 से प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित किया जाकर प्रति हितग्राही रु 1.50 लाख तक का अनुदान प्रदान दिया जा रहा है। विमुक्त जाति बस्तियो में सी.सी.रोड़, नाली, पेयजल इत्यादि अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु बस्ती विकास योजना संचालित की गई है। इसी प्रकार इन बस्तियों में विद्युत व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण योजना संचालित की जा रही है। कृषि कार्य करने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन के विस्तार की योजना संचालित है।

इन जनजातियों के बच्चों का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने की दृष्टि से कक्षा पहली से लेकर आगे तक की पढ़ाई के लिये विभिन्न स्तर की छात्रवृत्ति विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदाय की जाती है। साथ ही आवासीय सुविधा हेतु छात्रावास/आश्रमों

एवं सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का संचालन भी किया जाता है, जिसमें निःशुल्क आवास, भोजन, शयन सामग्री, पेयजल, विद्युत सुविधा, खेलकूद सामग्री, पुस्तकालय सुविधा इत्यादि प्रदान की जाती है। आवश्यकतानुसार विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में नवीन छात्रावास/आश्रम संचालन की कार्यवाही भी की जा रही है।

जो विद्यार्थी दूर से विद्या अर्जन के लिये आते है उनके आवास व्यवस्था हेतु आवास भाड़ा प्रदाय योजना बनाई गई है। व्यापम तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं की शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना संचालित की गई है। विद्यार्थियों में नेतृत्व करने का गुण विकसित करने हेतु नेतृत्व विकास शिविर आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के विद्यार्थियों एवं लोगों के जाति प्रमाण–पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे है।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति समाज के उत्थान के लिये शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इसी वर्ग के समाज सेवक को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है। नवगठित विभाग द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की कठिनाईयों की जानकारी बेस लाईन सर्वे से प्राप्त कर नवीन योजनायें बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट–1

कार्यालय संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास, मध्यप्रदेश

सेक्टर/योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय संबंधी जानकारी

वर्ष 2018–2019

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.	मांग संख्या	लघु शीर्ष	सेक्टर/योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19	
				बजट प्रावधान (पुनर्विनियोजन / अनुपूरक सहित)	व्यय राशि दिस. 2018 तक
1	2	3	4	5	6
मांग संख्या–69 (नान प्लान) आयोजनेत्तर					
1	69	001	(7216)–विमुक्त जाति मुख्यालय (वेतन भत्ते) (9999)	61.07	34.00
			महा योग :–स्थापना (वेतन भत्ते) 69	61.07	34.00
मांग संख्या–53 (प्लान) आयोजना					
1	53	196	(5509)–प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति (0103)	70.00	70.00
2	53	196	(7393)–विमुक्त जाति छात्रावास (शिष्यवृत्ति) (0103)	632.50	271.78
3	53	196	(7394)–कन्या प्रोत्साहन योजना (कक्षा ग्यारहवी) (0103)	16.00	16.00
4	53	196	(8050)–विभिन्न छात्रवृत्तियां (माध्यमिक स्तर) (0103)	120.00	120.00
			मांग संख्या–53 अयोजना		
मांग संख्या–53 (प्लान अयोजना)					
5	53	196	(7393) विमुक्त जाति छात्रावास पर सहायक अनुदान 007 अन्य	100.00	00.00
6	53	196	(7393) विमुक्त जाति छात्रावास 64 वृहद निर्माण कार्य 002	660.00	00.00
			योग मांग संख्या 53 अयोजना	1598.00	477.78
महायोग आयोजनेत्तर एवं आयोजना				1659.07	511.78

मांग संख्या–69 (प्लान) आयोजना

प्रावधान वर्ष 2018–19 (राशि रूपये लाखों में)				
क	योजना कमांक	योजना का नाम	मांग संख्या 69	व्यय (31 दिसंबर 2018 तक)
1	2	3	4	5
1	7397	विमुक्त जाति की बस्तियों का विकास (पूंजीगत)	500.00	156.43
2	4986	विमुक्त, घुमक्कड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान (स्थापना अनुदान)	120.00	00.00
3	1481	जिला प्रशासन (वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय)	19.53	3.21
4	6104	योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन	0.01	0.00
5	7168	विमुक्त जाति आवास योजना	570.00	202.73
6	8903	अखिल भारतीय/राज्य प्रशासनिक सेवाओं के उम्मीदवारों को प्रोत्साहन	10.00	0.20
7	7395	सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	10.00	0.00
8	4049	विमुक्त जातियों को रोजगार सहायता प्रशिक्षण	0.01	0.00
	7393	विमुक्त जाति छात्रावास (वेतन भत्ते एवं अन्य)	1226.41	710.58
10	7396	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	220.00	72.73
11	9094	समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	100.00	0.00
12	9095	मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना	10.00	0.00
13	9093	विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतिकरण (पूंजीगत)	50.00	0.00
19	7422	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (माध्यमिक शिक्षा मण्डल/व्यापम)	4.30	0.00
21	7752	नेतृत्व विकास योजना	0.01	0.00
22	7753	उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार योजना	4.00	0.00
23	7754	खेल–कूद/सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन	70.00	0.00
24	7756	विमुक्त जाति कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विस्तार योजना	50.00	0.00
25	7757	छात्रावास सुदृढ़ीकरण (लघु निर्माण) योजना	0.00	0.00
26	7758	छात्रावास भवन निर्माण योजना	00.00	0.00
27	7759	विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार योजना	19.00	18.97
28	7760	जाति प्रमाण पत्रों का मुद्रण	6.00	6.00
29	7215	मुख्यमंत्री विमुक्त जाति स्वरोजगार योजना	595.00	25.77
		मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना	10.00	2.25
30	7551	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	110.01	3.51
		योग	3704.31	1202.38

आदिम जाति कल्याण विभाग

Bhopal, the 21st September 1963

No 6209 – XXV- {Gen} – IK-63- The State Government are pleased to declare the Communities mentioned in Annexure I, to be the Nomadic and Semi Nomadic Tribes for purposes of award of the Government of India Post-Metric Scholarships only.

1. The State Government are also pleased to declare the Communities mentioned in Annexure II, to be the Denotified Tribes for the whole State for purposes of Government of India, Post-Metric Scholarships as well as all Welfare Programmes.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

B.K. Dubey, Secy.

Annexure I
Nomadic and Semi Nomadic Tribes

1	Baldia
2	Bachhowalia
3	Bhats
4	Bhantu
5	Desar
6	Durgimuragi
7	Ghisadi
8	Gondhali
9	Irani
10	Jogi, Jogi Kanphata
11	Joshi Balsanthoshi, Joshi Bahulikar, Joshi Bajaria, Joshi Budubuduki, Joshi Chitrakathi, Joshi Harda, Joshi Nadia, Joshi Harbola, Joshi Namdiwala, Joshi Pingala
12	Kashikapdi (Kashikapdi Harda, Kashikapdi Harbola)
13	Kalandar (Qalandar) Nagphara
14	Kamad
15	Karohla
16	Kassai (Shepherds)
17	Loharpitta (Gadiar Lohar)
18	Nayakda (Nayakda Bhil)
19	Shikkaligar (Bardhia, Saigulgor, Sarania, Shikligar)

employment is being provided through placement workshop.

20	Siringiwala Kuchband (Kuchband)
21	Sudugudu Sidhan (Bahurupiya)
22	Vaniyanthar Rajgond
23	Gaddis
24	Rabharis (Cattle Breeders)
25	Golars (Golams, Gollas, Balaghats, Golkars)
26	Gosains
27	Bharaddi Hardas
28	Bharaddi Harbolas
29	Hejaras
30	Dhangars

Annexure II
Denotified Tribes

1	Kanjar
2	Sansi
3	Banjara
4	Banchhada
5	Moghiya
6	Kalbelia
7	Bhanmat
8	Bagri
9	Nat
10	Pardhi
11	Bedia
12	Habuda
13	Bhatu
14	Kuchbandia
15	Bijoria
16	Kabutari
17	Sandhiya
18	Pasis
19	Chandravedias
20	Bairagis
21	Sanoriya

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1963

क्र. 6209–25(सा.) –आई.के.–63–राज्य शासन परिशिष्ट एक में उल्लिखित समुदायों को, केवल भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियॉं देने के प्रयोजन के लिये अस्थिरवासी और अर्धअस्थिरवासी जातियॉं घोषित करता है. साथ ही राज्य शासन परिशिष्ट–दो में उल्लिखित समुदायों को भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियॉं देने के प्रयोजनों के लिये और सभी कल्याण कार्यक्रमों के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित (विमुक्त) जातियॉं घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
बी.के. दुबे, सचिव

परिशिष्ट एक

घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियॉ

1	बलदिया
2	बाछोवालिया
3	भाट
4	भन्तु
5	देसर
6	दुर्गी मुरागी
7	घिसाड़ी
8	गोन्धली
9	इरानी
10	जोगी, जोगी कनफटा
11	जोशी बालसंतोषी, जोशी बहुलीकर, जोशी बजारिया, जोशी बुदुबुदुकी, जोशी चित्राबठी, जोशी हरदा, जोशी नादिया, जोशी हरबोला, जोशी नामदीवाला, जोशी पिंगला
12	काशीकापड़ी (काशीकापड़ी हरदा, काशीकापड़ी हरबोला)
13	कलन्दर नागफड़ा
14	कामद
15	करोला
16	कसाई (गडरिए)
17	लोहार पिट्टा (गाड़िया लोहार)
18	नायकढ़ा (नायकढ़ा भील)
19	शिकलिगर, (बरघिया, सैगुलगोर, सरानिया, शिकलिगर)
20	सिरंगी वाला, कुचबंद (कुचबंद)
21	सुदुगुदु, सिद्धन (बहरूपिया)
22	बनीयन्थर, राजगोंड
23	गद्दीज़
24	रेभारी (पशुपालक)
25	गोलर (गोलम, गोला, बालाघाट, गोलकर)
26	गोसाँई
27	भराडी हरदास
28	भराडी हरबोला
29	हेजरा
30	धनगर

परिशिष्ट–दो

विमुक्त जातियाँ

1	कंजर
2	सांसी
3	बंजारा
4	बनछड़ा
5	मोघिया
6	कालबेलिया
7	भानमत
8	बगरी
9	नट
10	पारधी
11	बेदिया
12	हाबुड़ा
13	भाटू
14	कुचबंदिया
15	बिजोरिया
16	कबूतरी
17	सन्धिया
18	पासी
19	चन्द्रवेदिया
20	बैरागी
21	सनोरिया

नोट्स :

	[illegible]	EX
18-19	1620.65	1587.46
17-18	3659.27	19392
16-17		

ong with academic ...
ng done to prepare such students, who can develop their ...